छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन,केपिटल कॉम्प्लेक्स,
नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 4204 /18/1/91/म/31/औजप्र/डी–4, नया रायपुर, दिनांक 16/09/2014

प्रति,

मुख्य अभियंता,
..........................कछार/परियोजना
जल संसाधन विभाग,
रायपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर (छ॰ग॰)
(विभागाधीन समस्त मैदानी मुख्य अभियंता)

विषयः– राज्य में औद्योगिक संस्थानों को चरणवार (Phase wise) जल आबंटन/प्रदाय हेतु विभागीय नीति का निर्धारण।

––––

विषयांतर्गत प्रकरण में, मंत्रि–परिषद की बैठक, दिनांक 16.09.2014 में आयटम क्र.– 11.1 के अंतर्गत लिए गये निर्णयानुसार राज्य में औद्योगिक संस्थानों को चरणवार (Phase wise) जल आबंटन/प्रदाय हेतु निर्धारित विभागीय नीति की छायाप्रति शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आपके कार्यक्षेत्र के अधीन, प्रकरण से संबंधित औद्योगिक संस्थानों को, प्रकरण में निर्धारित विभागीय नीति की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करें।

सहमत्र :– उपरोक्तानुसार।
(कुल पृष्ठ–02)

सही/
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर

...2

क्रमांक 4205 /18/1/91/म/31/औजप्र/डी–4, नया रायपुर, दिनांक 16/09/2014

प्रतिलिपि –

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
4. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
5. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
6. संयोजक, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, रेणुका द्वार, शास्त्री चौक, रायपुर, एवं
7. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर

को सूचनार्थ अग्रेषित।

सहमत्र :– उपरोक्तानुसार।
(कुल पृष्ठ–02)

सही/
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन

<u>जल संसाधन विभाग</u>

राज्य में औद्योगिक संस्थानों को चरणवार (Phase wise) जल आबंटन/प्रदाय हेतु विभागीय नीति

---

1 औद्योगिक संस्थानों के संयंत्र की क्षमता के अनुसार जल की आवश्यकता का निर्धारण कर ऊर्जा विभाग/उद्योग विभाग एवं एस.आई.पी.बी. द्वारा की गई अनुशंसा/अभिमत के अनुरूप विभाग द्वारा औद्योगिक संस्थानों को जल का आबंटन किया जाता है। अतः औद्योगिक संस्थानों को चरणवार (Phase wise) जल आबंटन हेतु ऊर्जा विभाग/उद्योग विभाग एवं एस.आई.पी.बी. से स्पष्ट अभिमत के उपरांत ही ऐसे प्रकरणों पर विचार किया जाएगा।

2 केवल उन औद्योगिक संस्थानों के चरणवार (Phase wise) जल आबंटन के आवेदनों पर विचार किया जावेगा, जिनके द्वारा निर्धारित समयावधि में अग्रिम जल कर के रुप में जल संग्रहण संरचना की संपूर्ण/अनुपातिक राशि जमा कर दी गई है।

3 औद्योगिक संस्थानों द्वारा चरणवार (Phase wise) जल आबंटन हेतु आवेदित अवधि किसी भी स्थिति में अपरिवर्तनीय होगी ।

4. औद्योगिक संस्थानों द्वारा वांछित चरणवार (Phase wise) जल आंबटन के प्रथम चरण में चाही गई जल आबंटन की मात्रा, उस संस्थान की ग्रीष्मकालीन आवश्यकता अनुसार संग्रहित जल की मात्रा से कम नहीं होगी ।

5. नवीन प्रकरणों में सिंगल विन्डो पोर्टल के तहत उद्योगों से प्राप्त जानकारी के आधार पर राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा आवेदन का परीक्षण कर चरणवार (Phase wise) जल आबंटन पर स्पष्ट अनुशंसा पृथक से संलग्न की जायेगी। आवेदन में उद्योगों की आवश्यकतानुसार चरणों की संख्या, जल की मात्रा तथा अवधि का भी उल्लेख अनिवार्यतः किया जाना होगा ।

6. ऐसे संस्थान जिनकी जल की सकल मांग 2.00 मि.घ.मी. वार्षिक तक है, को चरणवार (Phase wise) जल आबंटन की पात्रता नहीं होगी।

7. ताप विद्युत परियोजनाओं के चरणवार (Phase wise)जल आबंटन के मामलों में दो चरणों के मध्य अंतराल की अवधि अधिकतम 06 माह तथा चरणों की अधिकतम संख्या 06 होगी । ताप विद्युत परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य औद्योगिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन के चरणों की संख्या तथा चरणों के मध्य अंतराल का निर्णय संबंधित निवेशक एवं राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के मध्य निष्पादित एम.ओ.यू. के आधार पर राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड करेगा। इसके साथ ही चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित औद्योगिक परियोजना में निवेशक को निवेश प्रोत्साहन योजना का लाभ संबंधित चरण में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि को प्रचलित औद्योगिक नीति के अनुसार मिलेगा तथा निवेशक को इस हेतु अपनी सहमति भी देनी होगी।

....2

8. चरणवार (Phase wise) जल आबंटन के प्रकरणों में प्रथम चरण हेतु निर्धारित जल मात्रा का उपयोग प्रारंभ करने के पूर्व निर्धारित प्रारूप–7(क) में, प्रकरण में वार्षिक आधार पर कुल आबंटित जल के तारतम्य में, 3 माह के लिये अग्रिम जल–कर की राशि विभाग में अमानत के तौर पर जमा करने के पश्चात् 30 वर्षो के लिये एक ही अनुबंध करना होगा, जिसमे कुल आबंटित जल के साथ ही चरणवार (Phase wise) जल उपयोग करने की अवधि एवं मात्रा का उल्लेख होगा। उक्त अनुबंध की कंडिका क्र.–2 के अनुसार वार्षिक आबंटित जल की कम से कम 90% मात्रा के जल–कर भुगतान के स्थान पर, प्रकरण में चरणवार (Phase wise) निर्धारित अवधि अनुसार उस अवधि हेतु नियत जल उपयोग की मात्रा की कम से कम 90% मात्रा के जल–कर का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

9. चरणवार (Phase wise) आहरण के मामलों में अनुमति उपरांत अनुबंध के पूर्व चरणवार विशेष कमिटमेन्ट चार्जेस का भुगतान संस्थान द्वारा पृथक से देय होगा। चरणवार विशेष कमिटमेन्ट चार्ज की गणना, कुल आबंटित जल की मात्रा में से उस चरण तक आबंटित जल की मात्रा के समायोजन उपरांत शेष जल की मात्रा पर देय जल कर राशि का दो प्रतिशत वार्षिक के अनुसार उस चरण की अवधि हेतु की जायेगी।

10 इस नीति में यथा आवश्यक संशोधन शासन द्वारा किया जा सकेगा।

सही/
(गणेश शंकर मिश्रा)
सचिव
जल संसाधन विभाग